रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2009/माघ 3, 1930

No. 34] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2009/MAGHA 3, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2009

सं. 138 (आर.ई.-2008)/2004—2009

फा. सं. 01/92/180/95/एएम 09/नीति-6.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 6.3.9 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

"विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.6 में दी गई अनुमोदन अवधि के पूरा होने पर इकाई को स्कीम में बने रहने या बाहर जाने का विकल्प प्राप्त होगा । जहाँ पर इकाई स्कीम में बने रहने का विकल्प चुनती है, सम्बन्धित विकास आयुक्त अनुमोदन अवधि को बढ़ाएगा । यदि अनुमोदन अवधि की समाप्ति के छः महीने के अन्दर इकाई से इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो विकास आयुक्त ई ओ यू स्कीम के तहत अनुमोदन को निरस्त करने की स्वतः कार्रवाई करेगा और इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई करेगा । जहां इकाईयाँ ऊपर यथानिर्धारित 6 महीने की अवधि की समाप्ति के बाद स्कीम में बने रहने का विकल्प चुनती हैं, तो विकास आयुक्त अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अवधि बढ़ाने की स्वीकृति देगा ।"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd January, 2009

No. 138 (RE-2008)/2004—09

F. No. 01/92/180/95/AM09/PC-VI.—In exercise of power conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—09, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. 1) :

Para 6.3.9 of HBP (Vol.1) shall be amended to read as :

"On completion of approval period as provided for in paragraph 6.6 of FTP, it shall be open to unit to continue under scheme or opt out of scheme. Where unit opts to continue, DC concerned will extend approval period. If no intimation in this regard is received from unit within a period of six months of expiry of approval period, DC will take action, suo motu, to cancel approval under EOU scheme and take further action in this regard. Where units give their option to continue after expiry of six months as stipulated above, DC will grant extension after obtaining approval of BOA."

2. This issues in Public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.